अनविार्य परविर्तनीय डबिंचर

[स्रोत: पी.आई.बी.]

भारतीय प्रतस्पिर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने अंतर्राष्ट्रीय वत्ति नगिम (Internationa Finance Corporation- IFC) द्वारा नेपनि ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनक्सि लमिटिड के **अनविार्य परविर्तनीय डबिंचर** (**Compulsory Convertible Debentures-CCD**) को खरीदने की मंज़ूरी दे दी है।

- एक बॉण्ड जसि परपिक्वता पर अथवा वशिष्टि शर्तों के तहत इक्वटिी में परविर्ततति कयिा जाना है, एक **अनविार्य परविर्तनीय डबिंचर** (**Compulsory Convertible Debenture- CCS**) के रूप में जाना जाता है। यह **ऋण और इक्वटिी वाली सुवधिाओं से लैस होता** है।
  - वैकल्पकि परविर्तनीय डबिंचरों के मामले में जहाँ नविशक के पास परविर्ततति करने का वकिल्प होता है, उसके वपिरीत यहाँ रूपांतरण अनविार्य है।
- स्टार्टअप और वकिास-चरण (जब व्यवसाय लाभ कमाना शुरू कर दे) वाले व्यवसाय, जन्हिें वस्तिार के लयि पूँजी की आवश्यकता होती है, लेकनि ये इक्वटिी छोड़ने के लयि तैयार नहीं होते हैं, वे अक्सर CCD का उपयोग करते हैं।
- IFC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जसिकी स्थापना **वर्ष 1956** में नजिी क्षेत्र के वकिास को बढ़ावा देकर अपने वकिासशील सदस्य देशों में **आर्थकि वकिास** को आगे बढ़ाने के लयि की गई थी।
  - यह वशि्व बैंक समूह का सदस्य है।
- भारतीय प्रतस्पिर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) भारत सरकार का एक **वैधानकि नकिाय** है जो प्रतस्पिर्द्धा**अधनियिम, 2002** को लागू करने के लयि ज़म्मिेदार है, जसिका वधिवित गठन मार्च 2009 में कयिा गया था।

और पढ़े: भारतीय प्रतस्पिर्द्धा आयोग (CCI)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/compulsory-convertible-debentures